न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.
अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
49 / 2021	15.04.2021	

उनवान

1. जगमाल पुत्र नेतराम जाति चमार निवासी दोहडा तहसील किशगनढबास जिला अलवर राज.

:–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर

:–प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,89 ,188 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

....

उपस्थितः–

1. श्री सुभाष चन्द वकील वादी की और से ।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार ।

–:निर्णयः–

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः–
वकील वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास मे स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 323 रकबा 0–13 बिस्वा जिसका साबिक आराजी खसरा नम्बर 238 मिन रकबा 0–13 बिस्वा बारानी से कायम किया गया है। जो आराजी रकबा 0–13 बिस्वा वाद वादी मे विवादित कहलायेगी।

विवादित आराजी पूर्व मे भीवा पुत्र मंगली कौम चमार की पटटेदारी गैर खातेदारी की आराजी थी।जिसके नाम का अंकन साबिक जमाबन्दी सम्वत 2011, 2015,2019 व मिसल हकीयत 2029 मे अंकित है भीवा के फोत होन पर उसके कानूनी वारिस जुल्ली,गब्दु,शिम्भू, भूरजी , सम्पत , चिरंजी, रामसुख पुत्रान भीमा के नाम विरासत दर्ज होकर काबिज हुए।जिनके नाम का अंकन जमाबन्दी सम्वत 2034 से ताहाल मे अंकित किया हुआ है। जो राजस्व रिकार्ड मे गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिनके द्वारा जर्ये इकरारनामा दिनांक 26.04.97 के द्वारा विवादित आराजी का बेचान वादी को किया गया है। मुतनाजा आराजी पर मिन वादी ही काबिज काश्त है। और वर्तमान मे मिन वादी ही काबिज काश्त है ।

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान मे प्रभावी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.3012 अनुसार अवैध हस्तानान्तरण प्रकरण के आधार पर नियमानुसार राशि जमा कराकर खातेदारी सनद प्राप्त करने का अधिकारी है तथा इसी प्रकार की घोषणा कराने का अधिकारी है। इसलिए न्यायालय मे दावा पेश करना लाजिम आया है।

अतःप्रार्थना है कि

1. यह है कि डिकी इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज पारित कि जाकर करार दिया जावे कि वादी आराजी हाल खसरा नम्बर 323 रकबा 0—13 बिस्वा वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशगनढबास का बतौर खरीददार काबिज वो दखिल है एवं इकरारनामा दिनांक 26.04.97 बहक वादी के हक मे विधिवत तहरीर कराते हुए रकम प्राप्त की है मौके पर काबिज वो दखिल है इसलिए वादी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार अवेध हस्तानान्तरण प्रकरण के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है तथा इसी प्रकार की घोषणा कराने का अधिकारी है।
2. दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वाद का अवलोकन किया। वाद राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार हकूक खातेदारी प्रदत्त किये जाने से सम्बन्धित है। वाद के जेरकार रहते हुए प्रकरण मे मौका कब्जा काश्त रिपोट तहसीलदार किशनगढबास तलब की गई। प्राप्त मौका क़ब्जा काश्त रिपोर्ट कमाक /राजस्व/21/708 दिनांक 08.12.2021 के अनुसार मौके पर वादी का कब्जा काश्त है। वर्तमान मे प्याज की फसल काश्त की हुई है।

हमने वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादी को डिकी किये जाने की इश्तदुआ की। मिन वादी द्वारा आराजी विवादित को जर्ये इकरारनामा दिनांक 26.04.97 द्वारा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदारान के पिताओ से खरीद किया है। मोके पर प्राप्त मोका कब्जा काश्त रिपोर्ट कमाक /राजस्व/21/708 दिनांक 08.12.2021 के अनुसार वादी का कब्जा काश्त है इसलिए राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा करा हकूक खातेदारी प्रदत्त किये जाये। तथा प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने भी अपनी बहस मे वाद वादी को डिकी किये जाने मे कोई राज हित प्रभावित नही होना बताया है।

हमने वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। जमाबन्दी सम्वत 2075—78 के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे विकेतागण के वारिसान जिनके द्वारा आराजी विवादित का जर्ये इकरारनामा के द्वारा विकेय किया गया है राजस्व रिकार्ड मे गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उक्त गैर खातेदारान के पिता द्वारा विवादित आराजी उक्त को जर्ये इकरारनमा

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 26.04.97 क्रय किया है। चूकी आराजी विवादित का राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैरखातेदार के पिता द्वारा अवैध हस्तानान्तरण किया है मोकें पर प्राप्त तहसीलदार किशनगढबास रिपोर्ट क्रमाक /राजस्व/21/708 दिनांक 08.12.2021 के द्वारा के अनुसार वादी का कब्जा काश्त है कोई स्टे विवाद नही है। कब्जा वादी बाखूबी तहसीलदार किशगनढबास रिपोर्ट से सिद्व होता है अतः वर्तमान मे प्रभावी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण एवं शास्ती जमा कर हकूक खातेदारी प्रदत्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है। न्याय एवं विधि का सिद्वान्त भी यही है वाद वादीया काबिजे डिक्री करार पाता है।

अतः आदेश है:—

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर नम्बर 323 रकबा 0.16 हे. वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास का काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाता है। वादी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ति जमा कराने पर हकूक खातेदारी सनद वादी के पक्ष के जारी करने के आदेश दिये जाते है राशि जर्ये चालान जमा होकर सनद खातेदारी जारी हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदारान जो विक्रेतागण के वारिसान है के नाम के समस्त अंकन को कलमजन किया जाकर मुताबिक सनद वादी के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो। पर्चा डिक्री जारी । खर्चा वादीया स्वयं वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो । सुनाया गया।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :— ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
49 / 2021	15.04.2021	

पर्चाडिक्री

उनवान

1. जगमाल पुत्र नेतराम जाति चमार निवासी दोहडा तहसील किशगनढबास जिला अलवर राज.

:—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर

:—प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,89 ,188 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

....

उपस्थितः—

1. श्री सुभाष चन्द वकील वादी की और से ।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार ।

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर नम्बर 323 रकबा 0.16 हे. वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास का काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाता है। वादी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ति जमा कराने पर हकूक खातेदारी सनद वादी के पक्ष के जारी करने के आदेश दिये जाते है राशि जर्ये चालान जमा होकर सनद खातेदारी जारी हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदारान जो विक्रेतागण के वारिसान है के नाम के समस्त अंकन को कलमजन किया जाकर मुताबिक सनद वादी के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

Scanned with OKEN Scanner